

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नाम
आ
हुक्म

14.6.19

वकील प्रार्थी उपा. उमिदारी की तामिल
से चुकी है। वकील प्रार्थी ने 100 पत्र
स्वीकार दिये जाने हेतु निवेदन किया
है। वकील प्रार्थी ने 100 पत्र स्वीकार
किये जहां से तहसीलदार निवाडि को
1000 रुपये में का कमिशन की दर
पर 100 रुपये का निवेदन किया
जाता है तथा कार्य दिये जाते हैं कि
वर्षित भूमि ख. नं. 122/459, 122/461,
122/462 का तहसीलदार को निवेदन
की जाय कि वह पत्रगही करों पर
पुनः शुमार होकर नम्बर नौ कम
है तथा पत्र दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
निवाडि

1
2
3
4